

08/01/25

10/01/25
1/266025/2025

(137)

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या: 266025 / III(1)/2025-59217 / EST / 4 / 2023

देहरादून, दिनांक 08 जनवरी, 2025

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-158006 / III(1) / 2023-59217 / EST / 4 / 2023, दिनांक 04.10.2023 द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग की अन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग-5 (क्रमांक 470 से 647 तक) निर्गत की गयी है। उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 04.10.2023 के आपत्ति के निराकरण के क्रमांक 06 एवं 07 के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2612 / III(1) / 2021-69(अधि)2010, दिनांक 11.11.2021 एवं ज्ञाप संख्या 2196 / III(1) / 2021-69 (अधि)2010, दिनांक 17.09.2021 द्वारा क्रमशः श्री नरेश चन्द्र एवं श्री तुलाराम को उनके आसन्न कनिष्ठ कार्मिकों की सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की तिथि 31.01.2020 से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने के दृष्टिगत उक्त अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग में ज्येष्ठता निर्धारित किया जाना है।

2- अतः सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग की उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग-5 (क्रमांक 470-647), दिनांक 04.10.2023 में संशोधन करते हुये श्री नरेश चन्द्र एवं श्री तुलाराम की ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 एवं संशोधन नियमावली, 2024 के प्राविधानान्तर्गत संलग्न सूची (परिशिष्ट-1) के अनुसार अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित कर परिचालित करते हुये लोक निर्माण विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं (सिविल) से यह अपेक्षा की जाती है कि यदि किसी कार्मिक को अनन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग-5 के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है, तो वे पत्र निर्गत होने के 15 दिनों के भीतर अपना प्रत्यावेदन लोक निर्माण अनुभाग-01, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3- उक्त निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त प्रत्यावेदनों पर ही सम्यक रूप से विचार कर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा तथा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

संलग्नक: यथोपरि।

Signed by

Pankaj Kumar Pandey

(डा० पंकज कुमार पाण्डेय)

Date: 06-01-2025 10:58:22

सचिव।

संख्या व तिथि-तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख अभियन्ता (प्रभारी), लो०नि०वि० उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि संलग्न अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट पर

सार्वजनिक/परिचालित करने का कष्ट करें तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों/प्रत्यावेदनों को समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- 2- मुख्य अभियन्ता (अधि०), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (नाम से)।
- 4- विभागीय आदेश पुस्तिका।

Signed by

Shyam Singh

Date: 08-01-2025 11:55:16

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट-1

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग की निर्गत ज्येष्ठता सूची भाग-5 (क्रमांक 470 से 647 तक) में संशोधन किये जाने हेतु प्रस्तावित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची:-

ज्येष्ठता क्रमांक	चयन वर्ष	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	कनिष्ठ के पद पर नियुक्ति की तिथि	कनिष्ठ अभि० के पद पर ज्ये० क्र०	सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की तिथि	श्रेणी	भर्ती का स्रोत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
625	18-19	श्री गोविन्द सिंह कौण्डल	श्री सरदार सिंह	14.07.1978	01.09.04	630	शासनादेश संख्या 262/III(1)/20-04 (21)/17,दिनांक 31.01.2020	अनुसूचित जनजाति	पदोन्नति	दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत।
625 (A)	18-19	श्री नरेश चन्द	श्री प्रेम बल्लभ	29.12.1968	16.08.04	350	शासनादेश संख्या 2612/III(1)/2021-69(अधि०)/2010,दिनांक 12.11.2021	अनारक्षित	पदोन्नति	आसन्न कनिष्ठ की सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति तिथि 31.01.2020 से नोशनल पदोन्नति।
626	19-20	श्री गिरीश चन्द्र पाण्डे	श्री जगदीश पाण्डेय	25.10.1967	10.08.04	352	शासनादेश संख्या 295/III(1)/2020-69 (अधि०)2010, दिनांक 31.01.2020	अनारक्षित	पदोन्नति	—

635	19-20	श्री गणेश दत्त जोशी	श्री प्रेम बल्लभ जोशी	06.01.1968	04.09.04	364	शासनादेश संख्या 304 / III(1) / 2020-69(अधि0) / 2010, दिनांक 31.01.2020	अनारक्षित	पदोन्नति	—
635 (A)	19-20	श्री तुलाराम	श्री धनीराम टट्टा	04.08.1969	14.10.04	365	शासनादेश संख्या 2196 / III(1) / 2021-69(अधि0) / 2010, दिनांक 17.09.2021	अनुसूचित जाति	पदोन्नति	आसन्न कनिष्ठ की सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति तिथि 31.01.2020 से नोशनल पदोन्नति।
636	19-20	श्री हर्षवर्धन मैठानी	श्री नारायण दत्त	03.05.1969	19.08.04	366	शासनादेश संख्या 305 / III(1) / 2020-69 (अधि0) 2010, दिनांक 31.01.2020	अनारक्षित	पदोन्नति	—